संख्या-57/2021/1859 ई-2/तेरह-2021- 230870

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः20 सितम्बर,2021

विषय-मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि.यूनिट गुलरिया ,डिवीजन केमिकल्स, गुलरिया,जनपद-लखीमपुर खीरी को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 560 लाख लीटर वार्षिक में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत की वृद्वि किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-41/दो-प्रा.डी.-109/दिनांक 09 सितम्बर,2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव / संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि.यूनिट गुलरिया ,डिवीजन केमिकल्स ,गुलरिया, जनपद-लखीमपुर खीरी को स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 560 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत अर्थात 140 लाख ब.ली. अल्कोहल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आसवनी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट दिनांक 18-08-2021 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए अल्कोहल उत्पादन का कार्य किया जायेगा तथा आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उक्त के अतिरिक्त आसवक को इस सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा बनाये गये/विद्यमान सुसंगत नियमों/प्राविधानों/शासनादेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना भी अनिवार्य होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।